Title: Reported damage of residential bungalows and forcible eviction of residents from civil residential areas by the Mhow Cantonment Board in Indore Parliametnary constituency.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं एक मानवीय संवेदनशील मामला सदन में उठाना चाहती हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक कैंटोनमेंट एरिया आता है जिसका नाम महू कैंटोनमेंट एरिया है। महू कैंटोनमेंट एरिया के साथ-साथ कहीं न कहीं सिविल एरिया भी जुड़ा हुआ है।

वहां हर समय एक समस्या आती है। जैसे ही कोई नया आफिसर आता है, इस केंटोंनमेंट बोर्ड से लगे हुए सिविलियन एरिया को खाली करने का नोटिस लोगों को दिया जाता है। बंगला एरिया में जो लोग रहते हैं, उन्हें डिमोलिश करने का, खाली करने का नोटिस दिया जाता है। गए समय भी जब इसी प्रकार की कार्यवाही हुई थी तो मुझे याद है कि पहले की सरकार ने इस प्रकार के आर्डर्स निकाले थे। इस मामले की एक बार जांच करके, कि कितना सिविलियन एरिया कैंटोनमेंट बोर्ड को चाहिए, यह पूरी जानकारी लेने के बाद ही कार्यवाही हो। इस प्रकार के आर्डर हुए थे। उसके बाद फिर परसों बगैर नोटिस देकर लोगों को बंगला एरिया खाली करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि रक्षा मंत्री जी इस मामले में दखल देकर, एक बार परीक्षण करवा कर, कि कितना एरिया कैंटोनमेंट को चाहिए और कितना सिविलियंस को खाली करना है, यह मामला कहीं न कहीं तय हो जाना चाहिए ताकि बार-बार क्षेत्र के नागरिक परेशान न हों। इस प्रकार का कोई निर्णय हो, इतनी ही मेरी मांग है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।